30 जुलाई 1997 का दिन पशुपालन घेटाला के इतिहास में सर्वाधिक सनसनीखेज वाला दिन था। उस दिन श्री लालू प्रसाद ने मुकदमा संख्या आरसी/20/96 में न्यायापालिका के समक्ष समर्पण किया था। सीबीआई. उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी परंतु पटना के जिला प्रशासन ने ऐसा होने नहीं दिया। विकल्प के रूप में सीबीआई. ने 29 जुलाई की सुबह पटना उच्च न्यायालय में चारा घोटाला की सुनवाई करने वाले माननीय न्यायाधीश श्री एस.एन. झा ने उनके निवास पर भेंट किया। तत्पश्चात सीबीआई के अधिकारी दानापुर कैंट में सेना के अधिकारियों से मदद मांगी ताकि श्री लालू प्रसाद को गिरफ्तार किया जा सके।

सीबीआई ने चारा घोटाला के मुकदमा संख्या आरसी/20ए/96 में 27 अप्रैल 1996 को आरोप पत्र दाखिल किया था जो बिहार के तत्कालीन राज्यपाल डॉ. ए.आर. किदवई के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया। डॉ. किदवई ने 17 जून 1996 को आरोप पत्र अनुमोदित कर दिया। गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर श्री लालू प्रसाद उच्चतम न्यायालय गये। उच्चतम न्यायालय ने 29 जुलाई के पूर्व उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। बाद में सीबीआई के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय ने रोक हटाया और तब सीबीआई का श्री लालू प्रसाद को गिरफ्तार करने का प्रयास आरंभ हुआ।

इस बीच श्री लालू प्रसाद ने 25 जुलाई को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया और अपनी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। श्री प्रसाद को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए हो रहे प्रयास सफल नहीं हो रहे थे और पटना जिला प्रशासन सीबीआई को उन्हें गिरफ्तार करने नहीं दे रहा था। तब झारखंड की वर्तमान मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा पटना की जिलाधिकारी पद पर थीं। सीबीआई ने रैपिड एक्शन फोर्स के डीआईजी. से पुलिस बल मांगा तदुपरांत पुलिस बल सीबीआई के कार्यालय पर पहुंच भी गया परंतु श्रीमती राजबाला वर्मा ने बल के डीआईजी. को स्पष्ट निर्देश दे दिया कि बिना उनकी इजाजत के पुलिस बल एक कदम आगे नहीं बढ़ेगी। सीबीआई के अधिकारियों ने अपने प्रतिवेदन में अंकित किया है कि पटना जिला प्रशासन द्वारा श्री लालू प्रसाद को गिरफ्तार करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने से इनकार कर दिये जाने के कारण उन्हें सेना की मदद लेने के लिए विवश होना पड़ा। यह घटना 29 जुलाई 1996 की है।

सीबीआई द्वारा श्री लालू प्रसाद की गिरफ्तारी के लिए सेना की मदद मांगे जाने के अगले दिन 30 जुलाई को श्री लालू प्रसाद आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हुए। न्यायालय में आत्मसमर्पण के लिए जाते समय पटना की सड़कों पर काफी लंबा जुलूस लेकर वे न्यायालय गये और अपनी गिरफ्तारी दी। तदुपरांत उन्हें न्यायालय ने बेऊर जेल भेजा। जहां से कुछ ही क्षणों में उन्हें एक गेस्ट हाउस में भेज दिया गया और गेस्ट हाउस को जेल का दर्जा दे दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं और उस समय के कतिपय समाचार पत्रों ने भी प्रकाशित किया है

Scanned with OKEN Scanner

कि जब लालू प्रसाद बेऊर जेल भेजे गए तब पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी जेल गेट के सामने फूट–फूट कर रोने लगीं। शायद प्रशासन द्वारा तमाम प्रयासों के बावजूद श्री लालू प्रसाद को गिरफ्तार कर उन्हें जेल जाने से रोक नहीं पाने के कारण इनके आंसू निकलने से रूके नहीं।

29 और 30 जुलाई 1996 का दिन न केवल पशुपालन घोटाला के इतिहास का एक सनसनीखेज दिन था बल्कि एक ऐसा दिन भी था जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री लालू प्रसाद की गिरफ्तारी की रोक हटाने और उन्हें अविलंब गिरफ्तार के आदेश का अनुपालन करने से पटना जिला प्रशासन इनकार कर गया। संविधान और कानून के मुंह पर प्रशासन द्वारा यह करारा तमाचा था। उस दिन एक प्रकार से जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार की शह पर न्यायायिक निर्णयों के प्रति विद्रोह के बिंब के रूप में याद किया जायेगा। जब नौकरशाही और प्रशासन संविधान, कानून और न्यायालय के प्रावधानों का अनुपालन करने से इनकार कर दे तब नागरिक प्रशासन की विफलता के विकल्प में सेना का सहारा लेने का अंतिम विकल्प अपनाने का निर्णय कोई जांच एजेंसी करती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तार–तार होने की स्थिति पैदा हो जाती है। सीबीआई द्वारा नागरिक प्रशासन के विफल हो जाने के कारण कानून व्यवस्था लागू करने के लिए सेना की मदद लेने का निर्णय कितना उचित था और सीबीआई के स्थानीय अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में था या नहीं यह विवाद का विषय हो सकता है परंतु ऐसी स्थिति पैदा हो जाने पर इसके सिवाय क्या विकल्प है।

Scanned with OKEN Scanner